प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 14.04.2026

दबिश के दौरान 15 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 02 वारण्टी 1. बाबूलाल पुत्र पारसनाथ निवासी गोपालपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2. जनार्दन पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अजय कुमार भारती, उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, का0 अरविन्द कुमार यादव, का0 सूर्यनरायन गुप्त, का0 रितेश कुमार यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी 1. सन्तोष पुत्र ओमप्रकाश निवासी हैसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 2. अनिल कुमार चौधरी पुत्र शिवनारायन निवासी चौराकला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 सलमान अंसारी, का0 महेन्द्र निषाद , हे0का0 प्रमोद कुमार राय, का0 आशुतोष पाण्डेय।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05 वारण्टी 01. अनिल पुत्र राजेन्द्र निवासी भरवलिया पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 02. इन्द्रजीत पुत्र लुटावन निवासी भरवलिया पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 03. राजन यादव पुत्र प्रकाश निवासी नौदी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 04. लोरिक यादव पुत्र भागी निवासी सिक्टौर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 05. रामबहाल विश्वकर्मा पुत्र स्व0 महेश निवासी सोनौरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, उ0नि0 श्री योगेश राय, उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, का0 लालजी गौड़ ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05 वारण्टी 1. उमेश पुत्र नन्दलाल 2. कैलाश पुत्र नन्दलाल निवासीगण महला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 3. विशाल पुत्र मंगरू निवासी कौड़िया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 4. राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी लंगड़ाबार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 5. रामकुमार पुत्र बाबूलाल निवासी भिटवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र, उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा, उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0का0 आदित्य यादव, का0 प्रवेश कुमार यादव ।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी मनीषा पत्नी अर्जुन निवासी सिंगहा थाना धर्मसिंहवा संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सोनू यादव, म0का0 पूनम गौंड ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 381 वाहनों से 4,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 14.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 381 वाहनों से 4,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दुबे*** के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 242/2026 धारा 325 बीएनएस व 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता रफीक पुत्र तफज्जुल निवासी ग्राम दुर्गजोत बंजारा टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 14.04.2026 को बघौली से पिपरा बोरिंग को जाने वाली टैक्सी स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 05.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को बालूशासन पुल के पास एक पिकअप गाड़ी में लदे हुए 05 गोवंशीय पशु सड़क के किनारे गिरे हुए मिले थे, जिन्हे क्रुरतापूर्वक बांछकर वध के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें से 01 गोवशींय पशु की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 242/2026 धारा 325 बीएनएस व 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत कर 03 अभियुक्तों 01. छोटके पासवान 02.कल्लू पासवान 03.बीरु पासवान पुत्रगण निरहू निवासीगण कुकुरभुकवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर को दिनांक 06.04.2026 को 02 अदद जिंदा गोवंशीय पशु, 03 अदद मोबाइल के साथ झुड़िया पुलिया के पास से दिनाँक 06.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था।

अभियुक्तगण का विवरण
01. रफीक पुत्र तफज्जुल निवासी ग्राम दुर्गजोत बंजारा टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी व टीम विवरण- उ0नि0 श्री प्रज्ञान्शु राय, का0 संदीप यादव, का0 कमलेश कुमार यादव।

स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण: समन्वय पोर्टल (I4C) व NCRP से मिली सूचना पर 05 साइबर अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर क्राइम थाना, एसओजी व थाना धनघटा के संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 15.04.2026 को 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 03/2026 धारा 318(4),336(3),338,340(2),3(5) बीएनएस व धारा 66 (c), 66(d) आई0टी0 एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- विजय यादव पुत्र भालचन्द यादव निवासी जगदीशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- नीतेश कुमार पुत्र सभाजीत निवासी त्रिलोकपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
- शक्ति पुत्र शिवकरन निवासी कुसफरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- विकाश पाण्डेय पुत्र सभामणि पाण्डेय निवासी लोहरैया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- आर्यन पाल पुत्र संजय पाल निवासी भरवल परवतवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

- 33 अदद एटीएम कार्ड
- 12 अदद मोबाइल
- 29 अदद पासबुक
- 18 अदद चेक बुक
- 24 अदद सिम कार्ड
- 02 अदद लेटर पैड
- 06 अदद आधार कार्ड
- 06 अदद पैन कार्ड
- 01 अदद पासबुक कार्ड
- 02 अदद लैपटाप
- 02 अदद लेपटाप चार्जर,
- 01 अदद मोटरसाइकिल
- 02 अदद रबर स्टाम्प
- 08 अदद अवैध जिंदा कारतूस .32 बोर
- 16750 रुपये नगद

घटना एवं पूछताछ का विवरण

थाना धनघटा को I4C (गृह मंत्रालय) के समन्वय पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध बैंक खातों की सूचना प्राप्त हुई। जांच के दौरान संदिग्ध सन्नी भारती को थाना पर बुलाकर पूछताछ की गई, जिसने बताया कि विजय यादव एवं नीतेश कुमार द्वारा उसका खाता पंजाब एंड सिंध बैंक में खुलवाया गया था।

जांच में सामने आया कि अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना शक्ति है। यह गिरोह गरीब एवं असहाय लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और एटीएम, पासबुक व चेकबुक अपने कब्जे में रख लेता था।

गिरोह फर्जी पते व दस्तावेजों का उपयोग कर साइबर ठगी करता था और अपनी पहचान छुपाने के लिए गलत जानकारी देता था। प्राप्त खातों का उपयोग देश के विभिन्न राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश व कर्नाटक से ठगी की धनराशि मंगाने में किया जाता था।

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे समस्त डाटा अपने एक कमांडर (जनपद इटावा निवासी) को उपलब्ध कराते थे, जिसके बदले उन्हें कमीशन प्राप्त होता था।

पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहले विजय यादव एवं नीतेश कुमार को गिरफ्तार किया गया, तत्पश्चात मेहदावल मार्ग स्थित बालू शासन पुल के पास से शेष 03 अभियुक्तों (शक्ति, विकास पाण्डेय, आर्यन पाल) को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर चलते थे। वाहन के कागजात प्रस्तुत न करने पर मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

साइबर क्राइम थाना द्वारा जांच में पाया गया कि कुल 37 खातों के माध्यम से लगभग 05 करोड़ का लेन-देन किया गया था, जिसमें से लगभग 06 लाख रुपये से अधिक होल्ड (फ्रीज) कराए गए हैं। शेष अन्य खातों की जांच प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-

- साइबर क्राइम थाना उ0नि0 श्री ललित कान्त यादव, उ0नि0 श्री रमेश, उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव, हे0का0 हिन्दे आजाद, का0 रामप्रवेश, का0 शिवम यादव, का0 धीरेन्द्र कुमार।
- एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे0का0 विवेक कुमार राय, हे0का0 अनुप राय, का0 अभिषेक सिंह, का0 बीर बहादुर यादव।
- अपराध निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामेश्वर यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाइट